राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

रोजगार विज्ञापन

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/2014/687 दिनांक : 10.10.2014

राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वाहन चालकों के निम्नलिखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार रू. 7900/– (fixed) प्रतिमाह वेतन पर सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer Trainee) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। (परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें रनिंग पे बैण्ड.–1 वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 2400 देय होगा।)

1. **रिक्त पदों का विवरण** :–

अ. **वाहन चालक (राजस्थान उच्च न्यायालय के लिये)** :

सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद
12	4	3	2	21

ब. **वाहन चालक (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिये)** :

सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद
6	1	1	2	10

नोटः–

- आवेदन पत्र भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवें।
- आवेदक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व इस विस्तृत विज्ञापन का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवें।
- राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करें।
- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा।
- सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
- सफल अभ्यर्थीयों को नियुक्ति उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये वरीयता क्रम के विकल्प अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में यथासंभव दी जायेगी । नियुक्ति के संबंध में समस्त अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के विवेकाधीन होंगे।
- महिला अभ्यर्थीयो एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा।
- उक्त पदों की कार्य प्रकृति को देखते हुए इन पदों पर निःशक्तजनों (विशेष योग्यजन) का आरक्षण देय नहीं है।

2. **आवेदन पत्र की उपलब्धता**

आवेदन पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साईट **http://hcraj.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्रों का अन्य किसी माध्यम से विक्रय नहीं किया जायेगा।

3. **आवेदन करने की अंतिम तिथी : 15.11.2014**

पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र मय समस्त दस्तावेज एवं परीक्षा शुल्क, **रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर** के कार्यालय में दिनांक 15.11.2014 (कार्यालय समय) तक व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा अवश्य पहुंच जाने चाहिए। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

विशेष नोट : आवेदक आवेदन पत्र में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

10/10/14

4. **न्यूनतम शैक्षणिक, शरीरिक एवं तकनीकी योग्यता :**

(1) अभ्यर्थी को राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा अष्ठम उत्तीर्ण होना, अभ्यर्थी को हल्के वाहन चालन का लाईसेन्स (LMV) धारक होना, एवं उसे तीन वर्ष वाहन चलाने का अनुभव होना आवश्यक है।
(2) अभ्यर्थी का वजन 65 किग्रा से अधिक नहीं होना चाहिए एवं अभ्यर्थी की आंखों की दृष्टि चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए।
(3) अभ्यर्थी को रास्ते में वाहन मरम्मत किये जाने का ज्ञान होना आवश्यक है।
(4) अभ्यर्थी का शरीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उसमें ऐसी कोई भी शरीरिक अयोग्यता नहीं होनी चाहिए जो उसे कुशलतापूर्वक ड्राईवर के कार्य को निष्पादित करने से बाधित करती हो।

5. **राष्ट्रीयता :** अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।

6. **आयु :**

i. अभ्यर्थी की आयु 01.01.2014 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं हो।

ii. अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की शिथिलता होगी।

iii. सेवारत राज्य कर्मचारी, जो कि 33 वर्ष की आयु से पूर्व स्थायी/अस्थायी रूप से नियुक्त है, के मामले में ऊपरी आयु सीमा में कोई बंधन नहीं होगा। सेवा में अस्थायी नियुक्ति संबंधित नियमों के तहत होनी चाहिए।

iv. भूतपूर्व सैनिक, जो आरक्षित अर्थात रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में स्थानान्तरित हो गये हैं, के मामले में अधिकतम आयु सीमा 47 वर्ष होगी।

v. विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में कोई ऊपरी आयु सीमा में कोई बंधन नहीं होगा।

<u>**स्पष्टीकरण**</u>:— विधवा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करना होगा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे विवाह—विच्छेद (Divorce) का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करना होगा।

7. **परीक्षा शुल्क :** रू. 100/— : एक सौ रूपये मात्र रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो कि रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पक्ष में देय हो। अनु. जाति/अनु. जनजाति/विधवा/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू. 25/— (रूपये पच्चीस मात्र) देय होगा। परीक्षा शुल्क का पुनर्भुगतान किसी भी अवस्था में नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित किया जायेगा। केवल विज्ञापन निरस्त करने की अवस्था में ही परीक्षा शुल्क का पुनर्भुगतान किया जायेगा।

8. **नियुक्ति के लिए अयोग्यता :** ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 05.07.2006 को या उसके पश्चात् दो से अधिक जीवित संतान हों, सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक संतानो वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक अयोग्य नहीं समझा जावेगा, जब तक की 5 जुलाई 2006 को विद्यमान उसके संतानो की संख्या में बढोतरी नहीं होती है परन्तु जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक संतान है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाते है, वहाँ संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए संतानो को एक इकाई समझा जावेगा।

9. **परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम :—** उक्त सभी पदों पर भर्ती के लिये विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र पाये गये अभ्यर्थीयों की परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी।

<u>**चरण—(1)**</u> : यदि विज्ञापन में ज्ञापित रिक्तियों के संबंध में 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा (अभ्यर्थी के रोड़ साईड मरम्मत के सम्बन्ध में तकनीकी ज्ञान, यातायात नियमों की जानकारी एवं यातायात चिन्हों के ज्ञान पर आधारित 100 अंकों की) आयोजित की जाएगी। वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा सिर्फ छंटनी हेतु आयोजित की जाएगी एवं उक्त परीक्षा में प्राप्तांकों को अंतिम वरीयता सूची बनाते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

<u>**नोट**</u> :— परीक्षा के आगामी चरणों में, ज्ञापित रिक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थी, श्रेणीवार तैयार की जाने वाली वरीयता सूची अनुसार बुलाये जायेंगे। इस सीमा में उन सभी अभ्यर्थीयों को शामिल किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तय की गई न्यूनतम सीमा में समान अंक प्राप्त करेंगे।

<u>**चरण—(2)**</u> : ड्राईविंग टेस्ट (50 अंक) एवं रोड़ साईड मरम्मत परीक्षा (35 अंक)

<u>**चरण—(3) :**</u> व्यक्तिगत साक्षात्कार (15 अंक)

10. **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची :–**

- ड्राईविंग लाईसेन्स की सत्यापित प्रतिलिपी।
- आंठवी कक्षा एवं उससे उच्च कक्षा उत्तीर्ण करने के सम्बन्ध में प्रमाण की सत्यापित प्रतिलिपियां।
- रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर रूपये 100/– या 25/– जो भी लागू हो।
- जन्म तिथि के समर्थन में जन्म प्रमाणपत्र अथवा सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा अंक तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपी।
- आरक्षण के समर्थन मे जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत प्रारूप में जारी किया गया हो ।
- एक चरित्र प्रमाण पत्र जो कि प्रधानाचार्य/शैक्षणिक अधिकारी, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ विद्यालय से जारी किया गया हो, जहां अभ्यर्थी द्वारा अंतिम बार अध्ययन किया गया हो ।
- दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो विज्ञापन जारी होने कि तिथि से 6 माह पूर्व के न हों ।
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, विवाह का पंजीयन नहीं होने की स्थिति में शपथ–पत्र।
- विधवा महिला अभ्यर्थी अपने पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा तलाकशुदा महिला विवाह विच्छेद का प्रमाण की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें।

11. **अन्य सूचनाऐं :–**

- लिखित परीक्षा, ड्राईविंग टेस्ट, रोड़ साईड मरम्मत परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपस्थित होने पर आने जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- उक्त सभी पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, ड्राईविंग टेस्ट, रोड़ साईड मरम्मत परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार जोधपुर में लिया जाना संभावित है। परीक्षा के स्थान में परिवर्तन का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित होगा ।
- उक्त सभी पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची इस न्यायालय की अधिकारिक वेब साईट पर दर्शायी जायेगी।
- पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, ड्राईविंग टेस्ट, रोड़ साईड मरम्मत परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए दिनांक, समय, एवं स्थान के संबंध में सूचना इस न्यायालय की अधिकारिक वेब साईट पर दर्शायी जायेगी।
- लिखित परीक्षा, ड्राईविंग टेस्ट, रोड़ साईड मरम्मत परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद परिणाम की सूचना इस न्यायालय की अधिकारिक वेब साईट पर दर्शायी जायेगी।
- कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण का (Impersonation) या कूट रचित/छेड़छाड़ युक्त दस्तावेजात को प्रस्तुत करने (Submitting Fabricated or Tempered with Documents) का या अशुद्ध/असत्य कथन करने (Making Incorrect or False Statements) का या तात्विक सूचनाओं को छिपाने (Suprresing Material Information) का या परीक्षा में या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या करने का प्रयास करने (Using or Attempting to use Unfair Means in the Examination or Interview) का या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने या किसी साक्षात्कार हेतु बुलावा प्राप्त करने हेतु अन्य किसी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने (Otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance at any interview) का दोषी पाया जाता है या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया जाता है, वह आवेदक/परीक्षार्थी स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के साथ–साथ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी परीक्षा में प्रवेश लेने से या किसी भी साक्षात्कार में उपस्थित होने से स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा या राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन प्राप्त करने से वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा।

12. **प्रवेश पत्र एवं रोल नम्बर**

पात्र अभ्यर्थीयो के रोल नम्बर की सूची एवं प्रवेश पत्र इस न्यायालय की अधिकारिक वेब साईट पर अपलोड किये जायेंगे। प्रवेश पत्र, रोल नम्बर एवं जन्म दिनांक की सहायता से इस न्यायालय की अधिकारिक वेब साईट से डाउनलोड किये जा सकेंगे। प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जायेंगे।

13. **राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट एवं हैल्प लाईनः–** आवेदक, राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट http://hcraj.nic.in पर उपलब्ध सूचनाओं से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते

1/1/15

हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सहायता/मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा इस परीक्षा के लिए संचालित की जाने वाली हैल्प लाईन (Help Line) के दूरभाष सं0 0291–2541042, 2541388 पर कार्यालय समय के दौरान (During Office Hour) तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिसर में स्थापित किये जाने वाले कन्ट्रोल रूम पर व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आवश्यकता होने पर समस्त पत्र व्यवहार **रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर** को सम्बोधित किया जावे।

रजिस्ट्रार (परीक्षा)
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/2014/688 **दिनांक : 10.10.2014**

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
2. रजिस्ट्रार कम प्रमुख निजी सचिव माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ, जयपुर।
4. निदेशक, रोजगार कार्यालय, जोधपुर/जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर/जयपुर को इस निवेदन के साथ कि इस रोजगार विज्ञापन को जनहितार्थ बिना विज्ञापन शुल्क के प्रसारित/प्रचारित करावें।
6. प्रबन्धक (विज्ञापन), ...(समाचार पत्र का नाम) जोधपुर को इस निवेदन के साथ कि अपने नवीनतम संस्करण में एक ही समय, एक साथ राजस्थान में प्रकाशित होने वाले सभी संस्करणों में प्रकाशित करके एक प्रति मिलान हेतु मय बिल (तीन प्रतियों में) भुगतान हेतु प्रेषित करें।
7. नोटिस बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ, जयपुर।
8. जिला सूचना अधिकारी (डी.आई.ओ.), कम्प्यूटर सैल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञापन को राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करें।

रजिस्ट्रार (परीक्षा)
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

(प्रारूप)

स्वयं का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो यहां चिपकाएं

वाहन चालक के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. माता का नाम : ....
4. जन्म दिनांक : ....

आयु (01.01.2014 को): ....

ऊपरी आयु सीमा में छूट के आधार :

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुसूचित जाति	☐	अनुसूचित जनजाति	☐
अन्य पिछड़ा वर्ग	☐	भूतपूर्व सैनिक (आरक्षित)	☐
सेवारत राज्य कर्मचारी	☐	विधवा / तलाकशुदा महिला	☐

5. लिंग : महिला ☐ पुरूष ☐
6. वैवाहिक स्थिति : अविवाहित ☐ विवाहित ☐ विधवा ☐ तलाकशुदा ☐
7. बच्चों की संख्या :

दिनांक 05.07.2006 से पूर्व	
दिनांक 05.07.2006 के पश्चात्	
कुल	

8. राष्ट्रीयता : ....
9. श्रेणी

सामान्य	☐
अनुसूचित जाति	☐
अनुसूचित जनजाति	☐
अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग	☐

10. परीक्षा शुल्क का विवरणः–

पोस्ट ऑफिस का नाम	पोस्टल ऑर्डर क्रमांक	जारी करने की दिनांक	राशि

11. स्थायी पता : ....

....

....

12. वर्तमान पता : ....

(पत्राचार हेतु) ....

....

13. फोन/मोबाईल नम्बर : ....

14. शैक्षणिक योग्यता

परीक्षा का नाम	विद्यालय / बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण किये जाने का वर्ष	श्रेणी
8th			
10th			
12th			
स्नातक			
स्नात्कोतर			
अन्य			

15. वैध ड्राईविंग लाईसेन्स का विवरण

क्रमांक : ....

वैधता की अन्तिम तिथि ....

प्राधिकारी, जिसके द्वारा
जारी किया गया है ....

ड्राईविंग लाईसेन्स की श्रेणी ....

16. क्या आप वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव रखते है :– हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ तो :– नियोजित ☐ स्व–नियोजित ☐

यदि नियोजित है तो निम्न विवरण भरें :–

कब से	कब तक	अवधि	संस्था का नाम

यदि आप स्व–नियोजित है तो संक्षिप्त विवरण :–

17. क्या आवेदक का ड्राईविंग लाईसेन्स कभी निरूद्ध / निरस्त किया गया है:––

हाँ ☐

नहीं ☐

यदि हाँ तो विवरण :–

18. क्या आवेदक के विरूद्ध भारत के किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा / अपील / रिविजन लम्बित है:–

हाँ ☐

नहीं ☐

यदि हाँ तो विवरण :–

क्रमांक	मुकदमा नम्बर एवं शीर्षक	न्यायालय का नाम	अपराध की धाराएं

19. क्या आवेदक को भारत में स्थित किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध हेतु दोषी ठहराया जाकर दण्डित किया गया है:–

हाँ ☐

नहीं ☐

यदि हाँ तो विवरण :–

क्रमांक	मुकदमा नम्बर एवं शीर्षक	न्यायालय का नाम	अपराध की धाराएं	सजा की अवधि

20. नियुक्ति हेतु पद का वरियता क्रम 1 व 2 बॉक्स में लिखे :

राजस्थान उच्च न्यायालय ☐

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ☐

21. संलग्न प्रपत्रों की सूची:–

- ड्राईविंग लाईसेन्स की सत्यापित प्रतिलिपी।
- आंठवी कक्षा एवे उससे उच्च कक्षा उत्तीर्ण करने के सम्बन्ध में प्रमाण की सत्यापित प्रतिलिपियां।
- रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर रूपये 100/– या 25/– जो भी लागू हो।
- जन्म तिथि के समर्थन में जन्म प्रमाणपत्र अथवा सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा अंक तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपी।
- आरक्षण के समर्थन मे जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत प्रारूप में जारी किया गया हो ।
- एक चरित्र प्रमाण पत्र जो कि प्रधानाचार्य/शैक्षणिक अधिकारी, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ विद्यालय से जारी किया गया हो । जहां से अंतिम बार अध्ययन किया गया हो ।
- दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो विज्ञापन जारी होने कि तिथि से 6 माह पूर्व के न हों ।
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, विवाह का पंजीयन नहीं होने की स्थिति में शपथ–पत्र।
- विधवा महिला अभ्यर्थी अपने पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा तलाकशुदा महिला विवाह विच्छेद का प्रमाण की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें।

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं .... एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि विज्ञापित पद हेतु जारी विस्तृत विज्ञापन एवं योग्यता की शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है व उन्हें पूरा करता हूं। आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण व सही है। मुझे ज्ञात है कि आवेदनपत्र में दिये गये विवरण या सूचनाओं में असत्यता/विसंगति पाये जाने पर मेरी अभ्यर्थिता नोटिस दिये बिना समाप्त की जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर